२८।५।१७ दि० २५।६।१९ इ

25/06/2019

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी व वादनी उपस्थित है। वादनी ने ग्राम सीमलखेड़ी जमाबंदी सं0 2073–76 की खतौनी सं0 25 की 4 किता रकबा 11.17 बीघा आराजी में से अपने हिस्से का विभाजन चाहने का यह वाद पेश किया है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे हैं। ऐसे में इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम सीमलखेड़ी जमाबंदी सं0 2073–76 की खतौनी सं0 25 की ख0नं0 60 रकबा 6.19 बीघा, ख0नं0 91/175 रकबा 0.05 बीघा, ख0नं0 92/176 रकबा 0.11 बीघा, ख0नं0 116 रकबा 4.02 बीघा कुल 4 किता रकबा 11.17 बीघा आराजी नैनाराम पुत्र रतना कौम मीना सा0दे0 के खाते दर्ज है। इस जमाबंदी में अंकित नोट के अनुसार नामा0सं0 198/28.04.2016 से विक्रेता नेनाराम के ख0नं0 60 की 6.19 बीघा भूमि पर केता भंवरीबाई पत्नि हीरालाल जाति मीना निवासी सीमलखेड़ी के नाम दर्ज हुआ है। चूंकि वादनी इस खाते में सहखातेदार दर्ज रेकार्ड है। ऐसे में वादनी अपने अपनी आराजी ख0नं0 60 का अलग खाता कायम कराने की अधिकारी है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे हैं। इससे प्रकट होता है कि प्रतिवादीगण को वादी के वाद पर कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे में वादनी वाद में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है तथा ग्राम सीमलखेड़ी जमाबंदी सं0 2073–76 की खतौनी सं0 25 की ख0नं0 60 रकबा 6.19 बीघा, ख0नं0 91/175 रकबा 0.05 बीघा, ख0नं0 92/176 रकबा 0.11 बीघा, ख0नं0 116 रकबा 4.02 बीघा कुल 4 किता रकबा 11.17 बीघा आराजी में से ख0नं0 60 रकबा 6.19 बीघा को वादनी के प्रथक खाते दर्ज करने की आज्ञा पारित की जाती है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड

निर्णय आज दिनांक 25/06/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड